न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2951 सन 2026
CNR No. UPSP 010069742026

नदीम पुत्र खुर्शीद, निवासी अहमद नगर, खाताखेडी, थाना मण्डी, जिला सहारनपुर।
.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अं.स. 55/2024
धारा 452,323,504,506 भा.दं.सं
थाना देवबन्द, जिला–सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **नदीम** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी द्वारा इस आशय की तहरीर थाना हाजा पर दी गयी है कि वादी की पुत्री को घर से बहला–फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मुकदमा लिखवाया गया था, जिसमें कार्तिक उर्फ के0 पी0 जेल में है। दिनांक 05.02.2024 को शाम के 07:30 बजे वादी की बुआ का देवर का लडका यशपाल एवं उसका दोस्त नदीम व विपुल वादी के घर पर आए, और वादी से मुकदमें में समझौता करने को कहा, जिसके लिए वादी ने मना कर दिया तो इस बात पर उन्होंने घर में घुसकर वादी के साथ गाली गलौच व मारपीट करना शुरू कर दिया तथा जान से मारने की धमकी दी। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार अभियुक्तगण के विरूद्ध मु0अ0सं 55/2024 अन्तर्गत धारा 452,323,504,506 भा.दं.सं के अपराध में थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा विवेचना पूर्ण करके अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरिवर्णित धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी को उपरोक्त मामले में मात्र पति होने के आधार पर झूठा संलिप्त किया गया है। प्रार्थी दौरान विवेचना थाने से जमानत पर है, उसके द्वारा जमानत का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नही है। उक्त मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने का अधिकारी हैं।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम् स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 74** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचार

करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोषणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमनप्रीत सिंह बनाम् सी0बी0आई0 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 941** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्त को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

पत्रावली एवं सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी के घर में घुसकर उसके साथ गाली गलौच करते हुए, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा आवेदक/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है। केस डायरी के अवलोकन से दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेदक/अभियुक्त को धारा 41(क) दं.प्र.सं के प्राविधानों के अनुपालन में बिना गिरफ्तार किए आरोप पत्र प्रेषित किया जाना दर्शित है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए जाने पर उक्त आरोप पत्र पर दिनांक 11.12.2024 को प्रसंज्ञान लेकर अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत किए जाने पर अभियुक्त की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम् उ0 प्र0 राज्य प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नम्बर 6400 सन 2025** मे पारित आदेशानुसार दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफतार न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण निर्णय विधि सतेन्द्र कुमार अंतिल में प्रतिपादित सिद्धांतो में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **नदीम** की ओर प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित अभियोग में मु0 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप **अन्दर 15 दिन** दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. अभियुक्त, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।
2. अभियुक्त, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।
4. अभियुक्त, धारा 351 बी.एन.एस.एस के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
5. अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
6. अभियुक्त, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।
7. अभियुक्त, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोडेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांक 20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891